संख्या–1031 /पॉच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5

लखनऊः दिनांक 01 मई, 2020

विषयः **कोविड–19 के दृष्टिगत प्रवासी कामगारों के प्रदेश में लौटने पर क्वारेन्टाईन करने के सम्बन्ध में निर्देश/प्रोटोकाल।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों के लौटने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनके द्वारा राज्य में संक्रमण न फैले इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित प्रोटोकॉल निर्धारित किया जा रहा हैः–

प्रवासी कामगारों के वापसी पर प्रबन्धन प्रोटोकॉल

1. प्रवासियों के आगमन के पश्चात जिला प्रशासन के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग करायी जाएगी। स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर इन्हें फैसेल्टी क्वारन्टाइन में रखा जायेगा तथा जांच करवाने के पश्चात यदि वह संक्रमित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जायेगा। जो लक्षण वाले व्यक्ति संक्रमित नही पाये जाते हैं, उन्हें 7 दिनों तक फैसेल्टी क्वारन्टाइन में रखकर पुनः परीक्षण करवाया जायेगा। यदि सात दिनों के बाद भी वह संक्रमित नही पाया जाता है तो उन्हें अगले 14 दिनों के लिए होम क्वारन्टाइन में भेज दिया जायेगा। बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को 21 दिन के होम क्वारन्टाइन में भेजा जायेगा।

2. जनपद में पहुॅचने के पश्चात, जिला प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रवासी की स्क्रीनिंग के साथ–साथ पता एवं मोबाइल नम्बर सहित लाइन–लिस्टिंग तैयार किया जाए।

3. जनपद में पहुॅचने के पश्चात प्रवासी व्यक्तियो के जनपद में स्थापित आश्रय स्थल में आगमन पर आश्रय स्थल प्रभारी द्वारा इन व्यक्तियों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर आदि सम्पूर्ण विवरण संलग्नक–क पर रखे प्रारूप के अनुसार अंकित करने हेतु

अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर बनाया जाय। इस रजिस्टर में आश्रय स्थल में आने वाले एवं आश्रय स्थल से अपने गृह निवास को अवमुक्त किये जाने वाले प्रत्येक प्रवासी का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाय तथा खाद्य सामग्री किट देते हुए उन्हें अपने गंतव्य हेतु प्रस्थान करवाया जाय। इस रजिस्टर पर इन प्रवासियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त करवायें जाये। बिना पूर्ण विवरण प्राप्त किये किसी भी व्यक्ति को आश्रय स्थल से न जाने दिया जाय।

4. जनपद के आश्रय स्थलों में पूर्व से रखे गये ऐसे सभी प्रवासी व्यक्तियों को भी सम्मलित किया जाय जो इसी प्रदेश के किसी दूसरे जनपद के स्थायी निवासी है और वह अपने गृह निवास स्थान/जनपद को जाना चाहते हैं। आश्रय स्थल प्रभारी द्वारा रजिस्टर में अंकित किये गये प्रवासियों के विवरण को प्रतिदिन कम्प्यूटर पर फीड कराया जाय और उसे राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट rahatup.in पर शतप्रतिशत फीड कराया जाय।

5. प्रदेश के बाहर से आने वाले ऐसे श्रमिकों/कामगारों, जिनके घरों में होम क्वारेन्टाईन की व्यवस्था नहीं है, को इस्टीटूयशनल क्वारेन्टाईन में ही रखा जाय।

6. आश्रय स्थल/ क्वारन्टाइन कैम्प में आने वाले व्यक्तियों का श्रम विभाग द्वारा उसी आश्रय स्थल/ क्वारन्टाइन कैम्प में पंजीकरण किया जायेगा। पंजीकरण के समय श्रमिकों के कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल होने का सम्पूर्ण विवरण भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भरकर सुरक्षित रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश एवं प्रारूप निर्गत किये जायेगे।

7. सामुदायिक सर्विलान्स तथा सहयोग के लिए जनपद प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाए।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति का नेतृत्व ग्राम–प्रधान के द्वारा किया जाएगा तथा इस समिति में आशा/आंगनबाड़ी/चौकीदार/युवक मंगल दल के प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्य होंगे। इसी प्रकार से, शहरी क्षेत्र में संबंधित सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। मोहल्ला निगरानी समिति में आशा/सिविल डिफेन्स/आर0डब्लू0ए0 के प्रतिनिधि/नगर निकाय के क्षेत्रीय कार्मिक तथा अन्य सदस्य होंगे एवं नगर विकास विभाग के द्वारा प्रवासियों का सर्विलान्स एवं सहयोग किया जाएगा। समिति की संरचना जिलाधिकारी के द्वारा तय की जाएगी।

9. जिला प्रशासन के द्वारा प्रवासियों की सूची को ग्राम सभावार/वार्डवार स्वास्थ्य विभाग/पंचायती राज/नगर विकास विभाग को इस निर्देश के साथ दी जायेगी कि उक्त सूची को ग्राम निगरानी समिति/मोहल्ला निगरानी समिति से साझा किया जाए।

–3–

10. आशा कार्यकत्री द्वारा प्रवासियों की सूचना संलग्नक–1 में दिये गये प्रारुप पर भरी जायेगी (शासनादेश सं0 741/पांच–5–2020, दिनांक 30.03.2020 प्रवासियों की लाईन–लिस्टिंग का प्रारुप)। यह सूची ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर (BCPM) को प्रतिदिन नियमित रुप से उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा पोर्टल पर सूचना इन्ट्री की जायेगी।

11. प्रवासियों के द्वारा 21 दिनों की होम क्वारेन्टीन अवधि के दौरान निम्नलिखित सावधानियॉ अपनाया जाना अपेक्षित है–

a- क्वारेन्टाईन किया गया परिवार इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जहां तक सम्भव हो प्रवासी अपने घरों में पृथक कक्ष में रहेगा।

b- क्वारेन्टाईन किये गया प्रवासी अनिवार्य रुप से मास्क/गमछा/दुपटटा से मुंह एवं नाक को ढकेंगे।

c- हाथों को साबुन व पानी से धोने की आदत को बढ़ावा दिया जायेगा।

d- क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी के घर में किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

e- क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी के घर के मात्र एक अन्य सदस्य को ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद–फरोख्त के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति होगी। इस व्यक्ति के द्वारा घर से बाहर निकनले एवं वापस आने के समय हाथों को सैनीटाईज़/साबुन से हाथ धोया जाएगा तथा इस बीच मास्क/गमछा/दुपटटा का प्रयोग अनिवार्य रुप से किया जायेगा। निगरानी समिति के द्वारा इस कार्य हेतु लगभग 1 घण्टे की अवधि निश्चित की जायेगी तथा उपरोक्त नियमों के अनुपालन की निगरानी की जायेगी।

f- आशा के द्वारा इस परिवार में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलायें एवं मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग जैसे रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को क्वारेन्टाईन किये गये व्यक्ति से पृथक रहने की सलाह दी जायेगी।

g- परिवार के किसी भी सदस्य अथवा क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी में कोविड–19 के लक्षण प्रारम्भ होते ही इसकी सूचना आशा कार्यकत्री को तत्काल दी जायेगी, जिससे आशा कार्यकत्री अग्रिम कार्यवाही कर सके।

12. आशा कार्यकत्री द्वारा घर के बाहर उचित स्थान पर एक क्वारेन्टाईन फ्लायर लगाया जायेगा, जिससे उस घर के क्वारेन्टाईन के अन्तर्गत होने का संकेत मिल सके (संलग्नक–ख)। उसके द्वारा परिवार के सदस्यों का भी उल्लेख किया जायेगा तथा क्वारेन्टाईन प्रारम्भ तथा समाप्त होने की तिथि न मिटने वाली स्याही इत्यादि से अंकित की जायेगी। परिवार के सदस्यों को निगरानी समिति के सदस्यों का दूरभाष संख्या उपलब्ध कराया जायेगा।

-4-

13. प्रवासी के पास स्मार्ट फोन होने पर उसे 'आरोग्य सेतु' एप डाउनलोड करवाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 11:00 बजे सुबह अपनी सूचना अपडेट करनी होगी।

14. आशा कार्यकत्री द्वारा ऐसे प्रत्येक क्वारेन्टाईन किये गये घरों में तीन दिन में एक बार अनिवार्य रुप से भ्रमण कर परिवारीजनों में खांसी, बुखार एवं सांस लेने में कठिनाई लक्षणों के प्रकट होने के सम्बन्ध में जानकारी ली जायेगी तथा क्वारेनटाईन के सम्बन्ध में पुनः संवेदीकरण किया जायेगा। भ्रमण के समय आशा कार्यकत्री के द्वारा सोशल डिस्टेन्सिंग तथा साफ–सफाई के प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगाः–

- भ्रमण के समय मास्क/गमछा/दुपटटा आदि का प्रयोग तथा परिवार के सदस्यों से दो गज की दूरी बनाये रखना।
- भ्रमण से पूर्व एवं उपरान्त हाथों को साबुन से धोना एवं उपलब्धता के अनुसार अल्कोहलयुक्त सैनीटाईजर का प्रयोग करना।
- भ्रमण के समय दरवाजे/दरवाजों के हैंडिल अथवा बार–बार छूये जाने वाले अन्य सतहों को न छूना तथा परिवार के सदस्यों को दूरभाष अथवा आवाज़ देकर बुलाना।

15. यदि प्रवासी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य को बुखार अथवा खांसी के लक्षण प्रकट होते हैं तो आशा इसकी सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी को देंगी तथा पैरासीटामॉल की गोली देकर तीन दिनों के लिए व्यक्ति को घर पर ही क्वारेन्टाईन में रहने की सलाह देंगी। यदि लक्षण बढ़ते हैं तथा सांस लेने में तकलीफ होती है तो निगरानी समिति के सदस्य/आशा इसकी सूचना तत्काल प्रभारी चिकित्साधिकारी को देंगी तथा व्यक्ति को 108 एम्बुलेन्स से निकटस्थ क्वारेन्टीन फैसिलिटी में भेजने की व्यवस्था करेंगी। क्वारन्टाइन फैसिलिटी में इनका तत्काल परीक्षण कर यथा–आवश्यक एल–1/एल–2/एल–3 में भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

16. यदि परिवार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो पड़ोसियों अथवा ग्राम प्रधान के द्वारा जिला प्रशासन को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाएगा। एक बार से अधिक उल्लंघन करने वाले प्रवासी को फेसिलिटी क्वारेन्टाइन में भेज दिया जाएगा।

17. निगरानी समिति के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवार को समस्त राजकीय सुविधाओं एवं राहत योजनाओं का लाभ मिलता रहे। यदि परिवार को सामाजिक विरोध अथवा कठिनाई का सामना करना पड़े तो वे निगरानी समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करेंगे।

18. 21 दिनों की क्वारेन्टाईन अवधि पूरी करने पर आशा कार्यकत्री वस्तुस्थिति की सूचना बी0सी0पी0एम0 को देंगी एवं घर पर लगे फ्लायर को हटायेंगें।

कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

01.05.2020

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

पृ0संख्या– /पॉच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
10.. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
11. निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

1.5.2020

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

01/05/2020

संलग्नक - 'क'

आश्रय स्थल से छोड़े गये लोगों की सूची

जिला-

क्रम संख्या	आश्रय स्थल		आश्रय स्थल रहने वाले व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र(आयु)	लिंग	व्यक्ति का मूल / स्थाई पता					
	कैंप नाम	कैंप पता					राज्य/अन्य देश	जनपद	तहसील	क्षेत्र का प्रकार	ब्लाक/नगर क्षेत्र	वार्ड/गाँव/मोहल्ला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मोबाइल नंबर	पहचान का प्रकार	पहचान पत्र सं.	आगमन तिथि	लॉकडाउन के दौरान यह व्यक्ति आश्रय स्थल में कहाँ से आ रहे हैं	कोरोना के लक्षण न पाए जाने पर इन्हें छोड़ दिया गया है (हाँ या नहीं)	यदि हाँ तो छोड़ने की तिथि	छोड़ने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार स्वास्थ्य परिक्षण किया गया है (हाँ या नहीं)	छोड़ते समय कोरोना वायरस के लक्षण (हाँ या नहीं)	राजस्व -11 के शासनादेश 258 दिनांक 13.4.2020 के क्रम में 15 दिन का राशन किट दिया गया है (हाँ या नहीं)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

होम क्वारंटाइन

हमें गर्व है कि हम समाज को कोरोना मुक्त रखने में योगदान कर रहे हैं।

होम क्वारंटाइन रणनीति का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। यदि बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को संक्रमण है तो क्वारंटाइन की मदद से वह व्यक्ति दूसरे को संक्रमण फैला नही पाएगा। अतः क्वारंटाइन से न तो डरें और न ही घबराएँ।

इस परिवार के सदस्य अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसलिए ये हमारे सम्मान और सहयोग के योग्य हैं।

इस घर के सदस्य होम क्वारंटाइन पर हैं

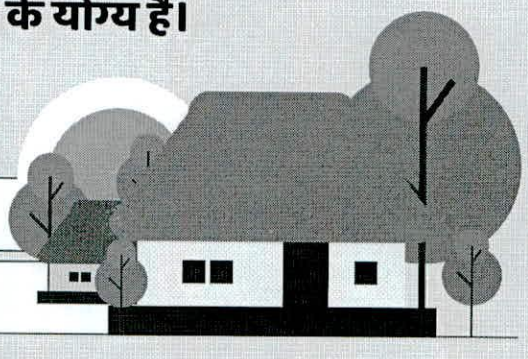

होम क्वारंटाइन शुरू होने की तिथि	
होम क्वारंटाइन समाप्त होने की तिथि	

ध्यान दें

क्वारंटाइन अवधि के दौरान इस घर के सभी सदस्य घर पर ही रहेंगे व बाहर बिल्कुल नहीं निकलेंगे।

सुबह/शाम बाहर जाने का समय

घर के ज़रूरी सामान लाने हेतु प्रत्येक दिन परिवार के एक सदस्य को सुबह/शाम के समय एक घंटे के लिए बाहर जाने की छूट दी जाएगी।

जो सदस्य बाहर जाएगा वह मुँह ढँकने हेतु पुनः इस्तेमाल होने वाले मास्क या कपड़े का इस्तेमाल करेगा और लोगों से बात करते समय 2 गज की दूरी बनाए रखेगा। बाहर जाने से पहले व घर लौटने पर वह अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोएगा।

यदि परिवार का कोई सदस्य क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

क्वारंटाइन के दौरान यदि परिवार के किसी भी सदस्य को बुखार, खाँसी या साँस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत गाँव की आशा या जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या टोल फ्री नंबर 1800-180-5145 पर संपर्क करें।

ग्राम प्रधान / आशा / पड़ोसी की ज़िम्मेदारी

यदि इस परिवार के सदस्य होम क्वारंटाइन के दौरान घर से बाहर जाते हैं या क्वारंटाइन के अन्य नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसकी सूचना आप ग्राम प्रधान को दें ताकि परिवार को फ़ैसिलिटी क्वारंटाइन किया जा सके।

होम क्वारंटाइन के दौरान कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु निम्न बातों का ध्यान रखें;

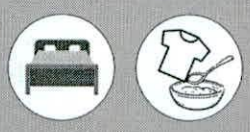

जहां तक संभव हो सके, लौटे हुए परिवार के सदस्य के लिए अलग कमरा, बिस्तर, कपड़ा, चादर व बर्तनों की व्यवस्था करें।

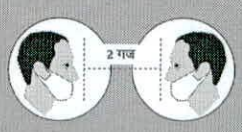

घर के सभी सदस्य मास्क लगाकर ही आपस में बातचीत करें व बातचीत करते समय एक दूसरे से कम से कम 2 गज की दूरी रखें।

घर के सभी सदस्य हाथों को बार-बार साबुन व साफ़ पानी से धुलें।

NATIONAL HEALTH MISSION

UP-TSU